सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –04.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कॉन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोग में 02 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – अभियुक्तगण 1- नबाव सिंह 2- हरी सिंह पुत्रगण हिन्दूपत निवासीगण ग्राम बसरेही थाना कदौरा जनपद जालौन द्वारा वादी श्री गया प्रसाद पुत्र स्व0 परमलाल निवासी ग्राम बसरेही थाना कदौरा जनपद जालौन के पुत्र निर्दोष राजपूत को तमंचे से गोली मारकर हत्या कारित करने की घटना में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कदौरा में मु0अ0सं0 309/2017 धारा 302/34/504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 04.09.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त नबाब सिंह उपरोक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 34,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय- अभियुक्त शिवा अनस उर्फ मंगल पुत्र भगवती प्रसाद निवासी हथनौरा थाना चुर्खी जनपद जालौन द्वारा नाबालिक लडकी के साथ की गयी दुष्कर्म की घटना के संबन्ध में वादिया/पीढिता की तहरीर के आधार पर थाना चुर्खी में मु0अ0सं0 22/2022 धारा 376/506 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट, 67 बी आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 04.09.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त शिवा अनस उर्फ मंगल उपरोक्त को दोषी पाते हुये 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 75,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।